<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी.एस.टी.एक्ट,अयोध्या।</u>

उपस्थितः- राकेश कुमार षष्ठम, एच.जे.एस.
J.O.CODE- UP 6115
Computer Registration No.-393/2026
CNR No. UPFZ01-001072-2026

1. **प्रदीप कुमार उर्फ गुलशन** आयु 25 वर्ष पुत्र राम लाल निवासी ग्राम नसरतपुर थाना तारून जिला अयोध्या।
2. **शिव कुमार निषाद** आयु 52 वर्ष पुत्र राम शब्द निषाद निवासी ग्राम गंगापुर थाना तारून जनपद अयोध्या।

...................आवेदकगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0राज्य। ....विपक्षी।

मु०अं०संख्या-429/2020
धारा- 323,504,506,452,147 भा०दं०सं०
व धारा 3(1)द एस.सी.एस.टी एक्ट
थाना- तारून
जिला- अयोध्या।

<u>जमानत आदेश</u>

(1) मु०अं०संख्या–429/2020, थाना तारून, जनपद अयोध्या के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **प्रदीप कुमार उर्फ गुलशन** द्वारा अन्तर्गत धारा– 323, 504, 506, 452, 147 भा०दं०सं० व आवेदक/अभियुक्त **शिव कुमार निषाद** द्वारा अन्तर्गत धारा– 323, 504, 506, 452, 147 भा०दं०सं० व धारा 3(1)द एस.सी.एस.टी एक्ट में जमानत आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया।

(2) जमानत आवेदन पत्र के अनुसार अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में नहीं दिया गया है न ही विचाराधीन है और न ही निर्णीत हुआ है।

(3) आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रदीप कुमार उर्फ गुलशन, शिव कुमार निषाद उक्त अभियोग में आज दिनांक–11.03.2026 तक अन्तरिम जमानत पर है, अभियुक्तगण द्वारा आज दिनांक–11.03.2026 को आत्मसमर्पण किया गया है।

(4) संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थिनी के गाँव के उपरोक्त विपक्षीगण दिनाँक 29.09.2020 समय लगभग 8 बजे रात्रि में पुरानी रंजिश को लेकर के प्रार्थिनी के घर में घुस करके विपक्षीगण शैलेन्द्र, महेन्द्र, निर्मोही निषाद, शिवकुमार, राम कृपाल, दुखराम, संदीप, अर्जुन, प्रदीप कुमार, गुलशन प्रार्थिनी को माँ बहन बेटी की भद्दी भद्दी गाली देते हुए चमाईन की जाति भोसड़ी वाली मादरचोद जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मूका थप्पड़ लात घूसा से मारते हुए कपड़े आदि फट गया। हल्ला गुहार पर पूनम, प्रमिला, प्रिंसी व गाँव के तमाम लोग प्रार्थिनी को बचाने के लिए दौड़े तो विपक्षीगणों ने प्रार्थिनी, प्रमिला, पूनम को लाठी डण्डों से मारने लगे। जिससे प्रार्थिनी, प्रमिला, पूनम को काफी चोटे आयी जो बेहोस हो गयी। विपक्षीगण अपने आपको भीड़ से घिरता हुआ देखकर जान से मार डालने की धमकी देते हुए कट्टे से फायर करते हुए भाग निकले। 112 नम्बर पुलिस को फोन से सूचित करने पर दो दो बार 112 नम्बर की पुलिस मौके पर आयी सायरन बजने पर विपक्षीगण भाग निकले। थाने के इर्द गिर्द व रास्ते में घूम रहे है। दो–दो बार प्रार्थिनी के परिवार वालों को मार चुके है। जिसकी सूचना दिनाँक 29.09.2020 कोतवाली तारुन को लिखित प्रार्थनापत्र दिया गया। भयंकर चोट आने के कारण दिनाँक 01.10.2020 को प्रार्थिनी व चोटहिल पूनम व प्रमिला के शरीर में आयी चोटों का मेडिकल परीक्षण जिला चिकित्सालय जिला–अयोध्या में करवाया। विपक्षीगणों के प्रभाव के कारण प्रार्थिनी की लिखित प्रार्थनापत्र नहीं लिया जा रहा है।

Digitally signed by RAKESH KUMAR
Date: 2026.03.11 17:31:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

(5) आवेदकगण की ओर से तर्क किया गया है कि वे निर्दोष है। कथित घटना एकदम फर्जी है। गांव के ही सन्तोष तिवारी जो वादिनी मुकदमा के मेली मददगार है, के उकसाने पर वादिनी मुकदमा द्वारा फर्जी मेडिकल कराकर झूठी एफ०आई०आर दर्ज करायी गयी है। घटना के कई दिन बाद एस.एस.पी के आदेश पर एफ०आई०आर दर्ज की गयी है। कथित घटना में किसी भी चश्मदीद साक्षी का नाम नहीं है। घटना किस समय और कहां पर घटी है इसका कोई भी वर्णन प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। इससे पूरी घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। सन्तोष तिवारी दीवानी का मुकदमा हार गये है। वादिनी मुकदमा उनकी मेली मददगार है। सन्तोष तिवारी ही पूरे मुकदमे की पैरवी करते है और अनायास प्रार्थीगण को परेशान करते हैं। एफ०आई०आर खूब बढ़ा चढ़ाकर लिखाई गई है।

(6) वादी मुकदमा पर नोटिस जरिये दूरभाष तामील है। परन्तु उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं है। विद्वान विशेष अभियोजक (एस.सी/एस.टी ऐक्ट) ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण ने अपने साथियों के साथ एकराय होकर वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर वादिनी व उसके परिवार वालों के साथ मारपीट किया है तथा गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दिया है। अतः आवेदकगण का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

(7) आवेदकगण ने स्वयं को निर्दोष अभिकथित करते हुए फर्जी फंसाया जाना कहा है। आवेदकगण आज दिनांक 11.03.2026 तक अन्तरिम जमानत पर थे। उनके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग किया जाना नहीं कहा गया है। एस.सी.एस.टी एक्ट की धारा 3(1)द को छोड़कर शेष सभी धाराएं मजिस्ट्रेट न्यायालय से परीक्षणीय है। आवेदकगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अभियोजन का भी ऐसा कोई तर्क नहीं है कि अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने पर उसके द्वारा गवाहों को प्रभावित किये जाने की संभावना हो।

(8) उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रस्तुत प्रकरण के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन–पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

मु०अं०संख्या–429/2020, थाना तारून, जनपद अयोध्या के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **प्रदीप कुमार उर्फ गुलशन** द्वारा अन्तर्गत धारा– 323, 504, 506, 452, 147 भा०दं०सं० व आवेदक/अभियुक्त **शिव कुमार निषाद** द्वारा अन्तर्गत धारा– 323, 504, 506, 452, 147 भा०दं०सं० व धारा 3(1)द एस.सी.एस.टी एक्ट के अभियोग में प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु०–25,000/– का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभूगण प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर अवमुक्त किया जाये। तद्नुसार जमानत आवेदन पत्र निस्तारित किया जाता है।

(राकेश कुमार षष्ठम)
दिनांकः–11.03.2026 **J.O Code–UP 6115**
विशेष न्यायाधीश, एस.सी/एस.टी ऐक्ट,
अयोध्या/फैजाबाद।